पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय इटावा
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA ETAWAH

दिनांक 09-04-2026

सत्र 2026–27 के लिए कक्षा-1 में प्रवेश हेतु सूचना

1. कक्षा- 1 में प्रवेश के लिए अनंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों का **प्रवेश दिनांक 09-04-2026 से 20-04-2026 तक सभी कार्यदिवसों में प्रात :10 : 00 बजे से अपराहन 01 00: बजे तक** किया जायेगा।

2. सभी प्रवेश अभिभावक की सेवा श्रेणी के क्रम में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश दिशा-निर्देश के 2026-27 अनुसार एवं प्रपत्रों के सत्यापन उपरांत ही किए जाएँगे। अभिभावक अपने पाल्य को प्रवेश के दिन अवश्य साथ लाएं।

3. अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची मैं नाम होने मात्र से अभ्यर्थी प्रवेश का हकदार नहीं होगा।

4. जाली दस्तावेजों / तथ्यों का गलत रुप से प्रस्तुतीकरण / निर्धारित समय के अंदर वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध न करा पाना, जैसी स्थितियों में विद्यालय प्रशासन को प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

5. प्रवेश के समय निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।
   - विद्यार्थी की अंतिम कक्षा का स्थानांतरण प्रमाणपत्र (TC) एवं परीक्षा परिणाम।
   - विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र (नगरपालिका द्वारा जारी इंटरनेट कॉपी / सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति)
   - निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / फोन बिल / बिजली बिल / गैस कनैक्शन / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
   - विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन कॉपी)
   - विद्यार्थी की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
   - विद्यार्थी का आधार कार्ड
   - अभिभावक का ईमेल
   - सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम सर्विस प्रमाण पत्र (डीडीओ के नाम, पद, हस्ताक्षर एवं फोन नं. के साथ)
   - सरकारी विभाग द्वारा जारी कर्मचारी के स्थानांतरणों का विवरण।
   - विद्यालय से आवास की दूरी का प्रमाण पत्र,
   - मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र

6. किसी भी अनंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश दिनांक 20-04-2026 के बाद नहीं लिया जायेगा।

7. शुल्क का विवरण :-

शुल्क विवरण		कक्षा -1
1	प्रवेश शुल्क	25 रु॰
2	वी.वी.एन. (अप्रैल 2026-जून 2026) 500 रुपये प्रति माह	1500 रु॰
3	कंप्यूटर फीस (अप्रैल 2026-जून 2026)100 रुपये प्रति माह	-
4	ट्यूशन फीस (अप्रैल 2026-जून 2026) 200 रुपये प्रति माह	-
	कुल देय शुल्क	1525 रु॰

8. प्रवेश हेतु अभिभावक को नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में ही किया जाना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

9. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पत्रांक F.110240/04/2013/KVS/Budget दिनांक 19-03-2013 के प्रावधानों के अनुसार सेवा श्रेणी 1 से 4 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों (सरकारी कर्मचारियों) को सामान्यतः किसी प्रकार की छूट देना संभव नहीं होगा। उक्त छूट प्राप्त करने हेतु सेवा श्रेणी 1 से 4 तक के आवेदक को अपने विभाग से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का अधिकारी न होने का विभागीय डी.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्राचार्य

प्राचार्य / PRINCIPAL
PM Shri Kendriya Vidyalaya
Etawah (U.P.)